पत्र संख्या–वि0व0संग्रह–पदोन्नति संग्रह अमीन/(2024–25)/ 579 /राज्य कर,

**आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश**
**(संग्रह अनुभाग)**
**लखनऊ :: दिनांक:: 30 अगस्त, 2024**

**संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), संभाग- ए**
**राज्य कर, लखनऊ ।**

उत्तर प्रदेश व्यापार कर संग्रह अमीन सेवा (तृतीय संशोधन) नियामावली दिनांक 03 फरवरी 2016 में की गयी व्यवस्थानुसार विभागीय वसूली योजना से संबंधित 20 जनपदों में कार्यरत संग्रह सेवकों से संग्रह अमीन के पद पर पदोन्नति के संबंध में मुख्यालय पर गठित चयन समिति द्वारा विचारोपरान्त निम्नलिखित संग्रह सेवकों को संग्रह अमीन के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र पाया गया है ।

प्रदत्त नियमावली के अनुसार संग्रह अमीनों के नियुक्ति प्राधिकारी संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर सम्भाग ए है। अस्तु जनपदवार कार्यरत संग्रह सेवकों जिनका चयन संग्रह अमीन के पद पर पदोन्नति हेतु किया गया है, का विवरण आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपने स्तर से नियमानुसार पदोन्नति आदेश जारी करना सुनिश्चित करे व उन्हें वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराकर उसकी सूचना तत्काल मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति संग्रह अमीनों की तैनाती का आदेश मुख्यालय स्तर से निर्गत किया जा सके।

पदोन्नति हेतु चयनित कार्मिकों की सूची निम्नवत है–

| क0 सं0 | ज्ये0 क0 | कर्मचारी का नाम | पिता का नाम | तैनाती स्थल |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 449 | श्री रंजीत कुमार | स्व0 श्री माधव प्रसाद | लखनऊ |
| 02 | 453 | श्री कमलेश कुमार | स्व0 श्री राम खेलावन | लखनऊ |

संबंधित नियोक्ता अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही संग्रह अमीन के पद पर कार्यभार ग्रहण करायें तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी उपलब्ध करायें।

सम्बंधित नियोक्ता अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों के विरूद्ध यदि कोई अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित हो अथवा आरोप पत्र निर्गत हो या सतर्कता/ई0ओ0डब्ल्यू0 आदि गम्भीर प्रकृति की जांच चल रही हो अथवा अन्य कोई ऐसा कारण यथा विभागीय जॉच/अन्य विपरीत तथ्य हो, जिससे पदोन्नति किया जाना उचित न हो तो ऐसे कार्मिकों का पदोन्नति आदेश जारी न किया जाये बल्कि ऐसे कार्मिकों की पात्रता निरस्त कराने हेतु वांछित सूचना अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें ।

ह0/–
(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पृ0प0सं0 व दिनांक यथोक्त।**
**प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, उ0प्र0।
2. अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर,, लखनऊ जोन प्रथम, लखनऊ ।
3. संयुक्त आयुक्त (आई.टी.) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. उपायुक्त (क0नि0/कर वसूली) राज्य कर, लखनऊ, ।
5. उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर, लखनऊ, ।
6. अधिष्ठान पटल (संग्रह अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।

30/08/2024
(ज्योति भौंत)
संयुक्त आयुक्त(संपत्ति)
प्रभार– संयुक्त आयुक्त(संग्रह), राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।